महत्वपूर्ण

संख्या–1470/77–4–09–142एन./08

प्रेषक,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/लीडा/गीडा/सीडा।,

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 25अक्टूबर, 2009

विषय :– **आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–01/77–4–09–142एन./08 दिनांक 06.01.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने हेतु कतिपय प्राविधान किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक मंदी की चुनौती से निपटने हेतु उक्त शासनादेश में कतिपय संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

(1)(क) शासनादेश संख्या–01/77–4–09–142 एन./08 दिनांक 06.01.09 द्वारा डिफॉल्टर आवंटियों/पट्टाधारकों को किश्तों के पुर्ननिर्धारण की जो सुविधा 30.06.09 तक उपलब्ध करायी गयी थी, वह अब 31.03.2010 तक अनुमन्य होगी तथा ऐसे डिफॉल्टर आवंटियों/पट्टाधारकों को किश्तों के पुर्ननिर्धारण में 01 वर्ष के moratorium के स्थान पर 02 वर्ष का moratorium अनुमन्य होगा तथा शेष प्राविधान पूर्ववत रहेंगे।

(ख) ऐसे आवंटी/पट्टाधारक जिन्होंने उन्हें सूचित भुगतान योजना के प्रीमियम का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया है, उन्हें निम्नानुसार भुगतान अनुमन्य होगीः–

(I) मांग–पत्र निर्गत करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर कुल प्रीमियम का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

(II) अवशेष प्रीमियम पर भुगतान में दो वर्षों का moratorium तथा इस अवधि में उसे अवशेष प्रीमियम पर प्रत्येक छःमाह के अन्तराल पर देय ब्याज का भुगतान करना होगा।

—2

(III) तत्पश्चात अवशेष देय प्रीमियम का भुगतान छःमाही किश्तों में ब्याज सहित करना होगा। पुर्ननिर्धारितधनराशि के भुगतान के लिये अधिकतम अवधि आवंटित भू–खण्ड की भुगतान योजना की मूल भुगतान अवधि के दोगुने से अधिक नहीं होगी जिसकी गणना मूल (Original) आवंटन की तिथि से की जायेगी। किसी भी दशा में पुर्ननिर्धारित किश्तों की अदायगी की अवधि मूल (Original) आवंटन तिथि से 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी। डिफॉल्ट होने की दशा में डिफॉल्टेड धनराशि पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत का ब्याज लिया जायेगा।

(ग) ऐसे आवंटी/पट्टाधारक जिन्होंने उन्हें सूचित भुगतान योजना के अनुसार प्रीमियम का भुगतान प्रारम्भ कर दिया है लेकिन अभी डिफॉल्टर नहीं हुए हैं, उन्हें निम्नानुसार भुगतान योजना अनुमन्य होगीः–

(I) आवंटी/पट्टाधारक ने प्रीमियम के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक जितनी धनराशि भुगतान कर दी है, उस धनराशि का पुर्ननिर्धारण नहीं किया जायेगा।

(II) अवशेष प्रीमियम पर भुगतान में दो वर्षों का moratorium प्रदान किया जायेगा। moratorium की इस अवधि में उसे अवशेष प्रीमियम पर प्रत्येक छः माह के अन्तराल पर देय ब्याज का भुगतान करना होगा।

(III) तत्पश्चात अवशेष देय प्रीमियम का भुगतान छःमाही किश्तों में ब्याज सहित करना होगा। पुर्ननिर्धारित धनराशि के भुगतान के लिए अधिकतम अवधि आवंटित भू–खण्ड के भुगतान योजना की मूल भुगतान अवधि के दोगुने से अधिक नहीं होगी जिसकी गणना मूल (Original) आवंटन की तिथि से की जायेगी। किसी भी दशा में पुर्ननिर्धारित किश्तों की अदायगी की अवधि मूल (Original) आवंटन तिथि से 10 वर्षों से अधिक नहीं होगी। डिफॉल्ट होने की दशा में डिफॉल्टेड धनराशि पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत का ब्याज लिया जायेगा।

(घ) इसका लाभ प्राप्त करने हेतु आवंटी/पट्टाधारक को संबंधित प्राधिकरण को अपना आवेदन दिनांक 31.03.2010 से पूर्व प्रेषित करना होगा। जिन डिफॉल्टर आवंटियों द्वारा शासनादेश दिनांक 06.01.09 के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र दिये हैं, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 31.03.2010 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

(2) बगैर कम्प्लीशन/कियाशीलता के समस्त परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण किये जाने के संबंध में निर्णीत हुआ कि व्यक्तिगत आवासीय आवंटियों को छोड़कर करके अन्य श्रेणी के वर्तमान आवंटियों को दिनांक 31–03–2010 तक

वर्तमान आवंटन दर का 2 प्रतिशत स्थानान्तरण शुल्क प्राप्त करते हुए बगैर कियाशीलता एवं कम्प्लीशन किये सम्बन्धित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से स्थानान्तरण अनुमन्य होगा। यह सुविधा केवल एक बार अनुमन्य होगी। 40,000 वर्ग मीटर (10 एकड़) से बड़े सभी प्रकार के भू–उपयोगों के भूखण्डों को नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त छोटे भूखण्डों में विभाजित कर, एक से अधिक इच्छुक केताओं को हस्तांतरित किया जा सकेगा, परन्तु ऐसे विभाजित प्रत्येक भूखण्ड का आकार 20,000 वर्गमीटर (5 एकड़) से कम नहीं होगा।

(3) उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 के प्रस्तर–10.2 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों और काल सेन्टरों के आवंटियों को स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत छूट दिये जाने संबंधी कर एवं निबंधन विभाग की सहमति से आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2168/78–2–2005–46 आई0टी0/2005 दिनांक 30–09–2005 के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान आर्थिक मंदी के दृष्टिगत आई0टी0 भूखण्डों/ इकाइयों को परियोजना के कम्प्लीशन के लिये 02 वर्षो की अतिरिक्त समयावधि अनुमन्य होगी। इसमें आवंटियों को भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 18+24 = 42 माह के भीतर सक्षम स्तर से डेवलपमेन्ट प्लान अनुमोदित करना होगा तथा 3+2 = 5 वर्ष के भीतर आवंटित की गई भूमि पर अनुमन्य कवर्ड एरिया के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण कार्य पूर्ण कर कम्प्लीशन प्राप्त करना होगा तथा सम्पूर्ण परियोजना का कम्प्लीशन 5+2 =7 वर्ष के भीतर करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अनुमन्य की गई अथवा की जा रही, स्टाम्प शुल्क की अदायगी मय ब्याज संबंधित एजेंसी के माध्यम से शासन को वापस करनी होगी।

(4) वर्तमान आर्थिक मंदी के दौरान वाणिज्यिक भूखण्डों की कियाशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से मात्र भविष्य में नई योजनाओं में प्राप्त होने वाली बिडों के आधार पर दिनांक 31–03–2010 तक आवंटित होने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों/ परिसम्पत्तियों में लीज़ रेन्ट की दरें घटा कर 2.5 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर 1.0 प्रतिशत वार्षिक करने तथा एकमुश्त की दशा में 27.5 प्रतिशत के स्थान पर 11.0 प्रतिशत करने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय संबंधित प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

(5) वर्तमान आर्थिक मंदी के आई0टी0 सैक्टर पर पड़े गम्भीर कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी प्राधिकरणों में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 आवंटियों के 31.03.2010 तक प्राप्त आवेदनों पर निम्न सुविधाएं अनुमन्य होगी:–

(I) आई0टी0 भू–खण्डों में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 गतिविधियों के लिए अनुमन्य एफ0ए0आर0 के 50 प्रतिशत एफ0 ए0 आर0 में मात्र IT Related Educational Instute, IT

Related Training Institute and IT Related Vocational Institute के लिए प्राप्त आवेदनों पर अनुमति प्रदान की जाती है।

(II) यदि किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र एकल उत्पाद आई0टी0एस0ई0जेड0 की विकासकर्ता कंपनी अथवा कन्सोरशियम के सदस्य कम्पनियों में एस0ई0जेड0 की स्थापना से पूर्व अंशधारकों का परिवर्तन होता है, तो इसकी अनुमति उन नियम एवं शर्तों पर अनुमन्य होगी। जिन नियम एवं शर्तों पर एस0ई0जेड0 को छोड़कर आई0टी0 के अन्य भू–खण्डों पर प्राधिकरणों द्वारा ऐसी अनुमति दी जा रही हो/दी जानी प्रस्तावित हो। बशर्ते भारत सरकार की एस0ई0जेड0 कमेटी को कोई आपत्ति न हो।

(III) आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2168/78–2–2005–46 आई0टी0/ 2005 दिनांक 30.12.2005 में यह व्यवस्था कर दी जायेगी कि यदि आवंटी 31.03.2010 तक किसी कारणवश परियोजना को संबंधित प्राधिकरण/ निगम को समर्पित कर देता है, तो परियोजना का कम्प्लीशन न होने के कारण उक्त शासनादेश में स्टाम्प शुल्क अदायगी संबंधी जो प्राविधान है, उन्हें स्वतः शिथिल समझा जाये और समर्पण करने वाले मामलों में स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(6) गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत जारी शासनादेश संख्या–668/18–4–2008–10 (बजट)/2007, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग श्रेणी की समस्त इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल के निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश स्थित इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़ा मद में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु व्यय किये गये भाड़े का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 5,000.00 प्रति टी.ई.यू. (20 फिट कन्टेनर), दोनों में जो न्यूनतम हो, की दर से अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसकी प्रति निर्यातक, प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम सीमा रू. 10,00,000.00 (रूपए दस लाख मात्र) निर्धारित की गयी है। योजना के अन्तर्गत निर्यातकों के दृष्टिगत निर्णीत हुआ कि निर्यातकों को उनकी मांगों के कम में निम्न सुविधायें देय होगीः–

1– निर्यातक इकाईयों द्वारा पूरे कन्टेनर के स्थान पर लूज/पार्ट कन्टेनर में माल भेजने पर अनुदान देय होगा।

2– निर्यातकों द्वारा सीधे ट्रक के माध्यम से अथवा प्रदेश के बाहर स्थित कन्टेनर डिपो के माध्यम से किये गये निर्यात पर अनुदान इस शर्त के साथ देय होगा कि निर्यात किया गया माल उत्तर प्रदेश में

निर्यात के पूर्व प्रत्येक कन्साइनमेंट व्यापार कर विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।

3– मध्यम श्रेणी की इकाईयों को भी अनुदान देय होगा।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के निर्यातकों के प्रतिभाग के संबंध में विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत निर्यातक इकाईयों द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र इकाइयों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में श्रेणीवार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित महाप्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इकाई सहायता हेतु पात्र है। तदोपरान्त आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन पत्रों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु निम्न समिति गठित की गयी है–

1– सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, – अध्यक्ष
2– सचिव, कृषिउद्योग एवं विदेश व्यापार – सदस्य
3– विशेष सचिव, वित्त – सदस्य
4– सम्बन्धित जनपद के प्रबन्धक (निर्यात – सदस्य
5– अपर निर्यात आयुक्त – सदस्य–सचिव

विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्यातक इकाइयों के दावों के शीघ्र निस्तारण तथा प्रकिया के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस योजनान्तर्गत निर्यातक इकाइयों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु उपरोक्त उल्लिखित समिति के स्थान पर निम्न समिति को अधिकृत किया जाता है–

1– सम्बन्धित जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2– महाप्रबन्धक, जि.उ.के. – सदस्य–सचिव
3– प्रबन्धक (निर्यात), जि.उ.के. – सदस्य
4– जनपद के प्रमुख निर्यातक लघु उद्योग इकाईयों के 3 प्रतिनिधि – सदस्य
5– जिलाधिकारी द्वारा नामित वित्त अधिकारी – सदस्य

3. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सुविधायें/व्यवस्थायें दिनांक 31.03.2010 तक ही अनुमन्य होंगी।

कृपया उपर्युक्त लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1470(1)/77–4–09, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अध्यक्ष, समस्त आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव।